दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-८६ वा | शुक्रवार १६ जनवरी २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

ठाकरे की मुंबई में २५ साल की सत्ता को सुरंग?

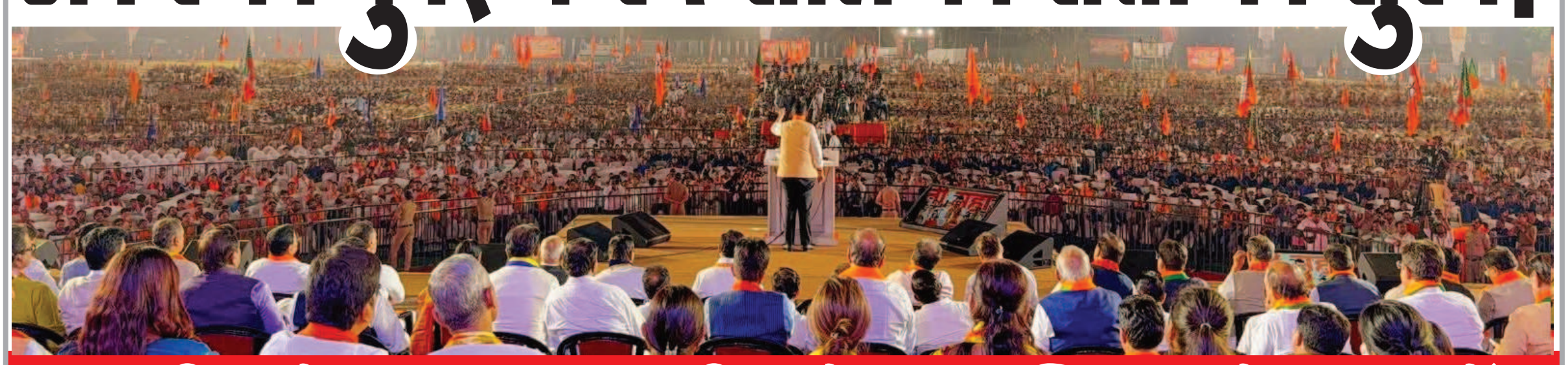

महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने का एक्जिट पोल का ट्रेंड

जमीर काजी

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए १५ जनवरी २०२६ को मतदान हुआ। मतदान के बाद विभिन्न एक्जिट पोल एजेंसियों ने अपने अनुमान जारी किए हैं। इनमें से ज्यादातर एक्जिट पोल में भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना (UBT)-मनसे गठबंधन को दूसरे स्थान पर रहने का अनुमान है, जिससे ठाकरे परिवार की मुंबई में २५ साल पुरानी (१९९७ से) सत्ता को बड़ा झटका लगने की संभावना दिख रही है।

इचउ में कुल २२७ सीटें हैं। बहुमत के लिए ११४ सीटों की जरूरत है। मतदान औसतन ४६-५२% तक रहा (अंतिम आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग से अभी घोषित नहीं हुए)। नतीजे १६ जनवरी २०२६ को घोषित होंगे।

प्रमुख एक्जिट पोल अनुमान (सीटें और वोट प्रतिशत) एक्सिस माय इंडिया (Axis My India) एक्जिट पोल

भाजपा-शिंदे गठबंधन (महायुति): १३१-१५१ सीटें

ठाकरे-मनसे: ५८-६८ सीटें

कांग्रेस-वंचित: १२-१६ सीटें

अन्य: ६-१२ सीटें

वोट प्रतिशत

महायुति: ४२%

ठाकरे-मनसे: ३२%

कांग्रेस-वंचित: १३%

अन्य: १३%

जेवीसी (गतउ) एक्जिट पोल

भाजपा-शिंदे गठबंधन: १२५-१३८ सीटें (कुछ रिपोर्ट में १३८ सीटें)

ठाकरे-मनसे: ५८-६८ सीटें (या ५९ सीटें)

कांग्रेस-वंचित: २०-२५ सीटें

अन्य: ७ सीटें

वोट प्रतिशत

महायुति: ४२-४५%

ठाकरे-मनसे: ३४-३७%

कांग्रेस-वंचित: १३-१५%

अन्य: ६-८%

लोकशाही रुद्र रिसर्च एक्जिट पोल (अन्य रिपोर्ट्स में उल्लेखित समान ट्रेंड)

भाजपा-शिंदे: लगभग १२१-१४२ सीटें (विभिन्न स्रोतों में थोड़ा अंतर)

ठाकरे-मनसे: ५८-७१ सीटें

कांग्रेस-वंचित: १९-२५ सीटें

अन्य: ८-१० सीटें

कुल ट्रेंड और महत्व

सभी प्रमुख एक्जिट पोल (Axis My India, JVC, Sakal आदि) महायुति को १२०+ सीटें देकर स्पष्ट बहुमत दिखा रहे हैं। ठाकरे भाइयों का २० साल बाद एक साथ आना ज्यादा फायदेमंद नहीं दिख रहा। भाजपा को खासकर महिलाओं, युवाओं और उत्तर/दक्षिण भारतीय मतदाताओं में मजबूत समर्थन मिला है। ठाकरे गठबंधन को मुख्य रूप से मराठी और मुस्लिम वोटर्स का समर्थन मिलने का अनुमान है।

ये सिर्फ एक्जिट पोल हैं, असली नतीजे अलग हो सकते हैं। कल मतगणना के बाद ही पूरी स्पष्टता आएगी।

विनोद मुळुक उपाध्यक्ष निर्विरोध, राष्ट्रवादी की बीड नगर पालिका पर एकहाथी सत्ता

स्वीकृत सदस्य के तौर पर मोईन मास्टर, मसूद खान, शिराले, मुंदडा, वाघचौरे का चयन

बीड (प्रतिनिधि):

बीड नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए अजितदादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से चौथी बार नगरसेवक बने विनोद मुळुक ने नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की डॉ. सारिका योगेश क्षीरसागर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे त्रिशंकु स्थिति के कारण उपाध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। हालांकि दोपहर करीब पौने दो बजे डॉ. सारिका क्षीरसागर ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके चलते बीड नगर पालिका पर अब अजितदादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की एकहाथी सत्ता स्थापित हो गई और विनोद मुळुक निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गए।

नगर पालिका चुनाव में अजितदादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रेमलता पारवे नगराध्यक्ष चुनी गई थीं। उपाध्यक्ष पद के लिए किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी थीं। आज ▶▶पान ४ पे

माजलगांव नगरपालिका में सहाल चाउस उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित

माजलगांव (प्रतिनिधि):

माजलगांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस (तुतारी) के सहाल चाउस का निर्विरोध चयन किया गया है। वहीं स्वीकृत सदस्य पद के लिए तुतारी की ओर से विजय मोहन जगताप, बहुजन विकास मोर्चा की ओर से अभिजीत बाबुराव पोटभरे तथा घड़ी (राष्ट्रवादी कांग्रेस) की ओर से डॉ. सचिन देशमुख का चयन हुआ है।

माजलगांव नगर पालिका का चुनाव बेहद कड़े मुकाबले वाला रहा। इसमें तुतारी की शिफा बिलाल चाउस सीधे जनता के मतों से निर्वाचित होकर नगराध्यक्ष बनी थीं। इसके बाद उपाध्यक्ष तथा स्वीकृत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शेष थी, जिसके लिए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले।

उपाध्यक्ष पद हासिल करने के लिए घड़ी के विरोध में तुतारी से चुनाव लड़े कुछ उम्मीदवारों द्वारा घड़ी गुट में जाने की तैयारी भी दिखाई गई थी, जिससे उपाध्यक्ष चुनाव में खासा रोमांच बढ़ गया था।

अंततः १५ जनवरी को माजलगांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस (तुतारी) के सहाल चाउस का निर्विरोध चयन हुआ। साथ ही तुतारी की ओर से विजय मोहन जगताप, बहुजन विकास मोर्चा की ओर से अभिजीत बाबुराव पोटभरे तथा घड़ी की ओर से डॉ. सचिन देशमुख स्वीकृत सदस्य चुने गए। इन सभी चयनित प्रतिनिधियों का विभिन्न स्तरों से अभिनंदन किया जा रहा है।

बहू नगराध्यक्ष, ससुर उपाध्यक्ष माजलगांव नगर पालिका ▶▶पान ४ पे

पुराने विवाद में युवक का अपहरण कर हत्या, दो आरोपियों को आजीवन कारावास

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद एल. यावलकर का अहम फैसला

बीड (प्रतिनिधि):

पुराने विवाद के चलते एक युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या करने के मामले में बीड की सत्र अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह महत्वपूर्ण फैसला प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद एल. यावलकर ने १३ जनवरी २०२६ को सुनाया।

इस मामले में मृतक की पहचान सिद्धांत किरण गायकवाड़ (उम्र २०), निवासी बारादरी, यादवमळा, माळीवेस, बीड के रूप में हुई है। वहीं आरोपियों के नाम अक्षय उर्फ चिंटू मिंटू गायकवाड़, निवासी पात्रुड गली, माळीवेस, बीड तथा अभिषेक सचिन उर्फ पिंटू गायकवाड़, निवासी बालाजी नगर, नांदेड हैं।

फरियादी किरण गायकवाड़ के पुत्र सिद्धांत को २ जुलाई २०२२ को दोपहर करीब ३.३० बजे पुराने विवाद के कारण दोनों आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे बीड के खंडेश्वरी क्षेत्र स्थित जिजामाता विद्यालय की एक जर्जर कमरे में ले जाकर लकड़ी की लाठियों और बेल्ट से जान से मारने की नीयत से ▶▶पान ४ पे

बीड नगर परिषद की पहली बैठक में स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति पर विवाद

बीड (प्रतिनिधि)

गुरुवार (दि. १५) को बीड नगर परिषद की पहली ही बैठक में स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

भाजपा की गटनेता डॉ. सारिकाताई योगेश क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि नियमों के अनुसार भाजपा के दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के दो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) का एक सदस्य चुना जाना अपेक्षित था। इसके बावजूद नगराध्यक्ष प्रेमलताताई पारवे ने नियमों को दरकिनार करते हुए अपने ही पक्ष के तीन सदस्यों को स्वीकृत करा लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में वे बीड के जिलाधिकारी से शिकायत करेंगी।

उपाध्यक्ष पद और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव के ▶▶पान ४ पे

बीड के वरिष्ठ पत्रकार रईस खान को राज्यस्तरीय 'आफताब-ए-सहाफत' पुरस्कार

बीड (संवाददाता): पिछले २५ वर्षों से हिंदी, उर्दू और मराठी पत्रकारिता में ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्यरत बीड के प्रसिद्ध पत्रकार रईस खान सिकंदर खान को 'खादिमीन-ए-उम्मत' संस्था द्वारा राज्यस्तरीय 'आफताब-ए-सहाफत' (पत्रकारिता का सूर्य) पुरस्कार के लिए चुना गया है.

इस चयन का पत्र खादिमीन-ए-उम्मत के बीड जिला प्रभारी सैयद मुमताज अली हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार नदीम मिर्जा तथा वरिष्ठ साहित्यकार अरशद सिद्दीकी के हाथों बुधवार को सौंपा गया.

संस्था की ओर से बताया गया कि,यह पुरस्कार वितरण रविवार, १८ जनवरी को सुबह १० बजे हैदर गार्डन फंक्शन ▶▶पान ४ पे

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

उंगली की स्याही पोंछी जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला: उद्धव ठाकरे का तीखा आरोप

जमीर काज़ी

मुंबई (प्रतिनिधि):

लगभग नौ वर्षों के अंतराल के बाद मुंबई महानगरपालिका सहित राज्य की २९ महानगरपालिकाओं के लिए हो रहे चुनावों में मतदान के दिन सुबह से ही कई स्थानों पर विवाद सामने आए। मतदान केंद्रों से बाहर निकलने वाले मतदाताओं की उंगली पर लगी स्याही आसानी से पोंछी जा रही है–ऐसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हर चुनाव में स्याही का उपयोग होता रहा है, फिर इस चुनाव में मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया गया?–यह सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्याही पोंछी जाना लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुंबई में नौ साल बाद महानगरपालिका चुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपेक्षित सुधार करने में विफल रहा है। यदि मतदान के बाद लगाई जाने वाली स्याही पोंछी जा सकती है, तो क्या इससे फर्जी मतदान का रास्ता खुल रहा है?–यह सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि सुबह से मुंबई सहित राज्य के कई शहरों से मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। कई मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने और दोहरे मतदाताओं की समस्या अब तक हल न होने की बात भी सामने आई है। इसके साथ ही मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही पोंछे जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि संविधान मतदाताओं को मतदान का अधिकार देता है, लेकिन उसे प्रभावी रूप से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग निभाने में असफल रहा है। उन्होंने इस मामले की तत्काल जांच कर चुनाव आयुक्त को निलंबित करने की मांग की। ईवीएम से जुड़े आक्षेप, मतदाता सूचियों की खामियां और अब स्याही पोंछे जाने की घटनाएं–ये सब सत्ताधारियों की बेचैनी का संकेत हैं। मतदाताओं के सामने जाकर सीधे वोट मांगने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही संदेह के घेरे में धकेला जा रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हार की आशंका स्पष्ट होते ही भाजपा अब रोने–धोने की राजनीति कर रही है। हिम्मत है तो सीधे जनता के सामने जाकर वोट मांगिए। इस तरह की लूटेरी तरीकों से लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए,–ऐसी चुनौती उन्होंने दी। साथ ही, वार्ड क्रमांक २२६ में डाक मतपत्र (पोस्टल वोटिंग) से जुड़ी गतिविधियों को भी उन्होंने संदिग्ध बताया। इन घटनाओं से मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग राजनीतिक हलकों से की जा रही है।

उंगली की स्याही पोंछकर दोबारा मतदान–यही 'विकास': राज ठाकरे

चुनाव आयोग के कामकाज पर राज ठाकरे ने भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, मतदान के बाद उंगली की स्याही पोंछकर फिर से मतदान करना–यही विकास हो गया है। सरकार को चुनाव जिताने के लिए आयोग हर तरह से मदद कर रहा है।

स्याही पोंछने को लेकर 'फेक नेरेटिव': चुनाव आयोग

राज्य चुनाव आयोग ने स्याही पोंछने को लेकर फैलाए जा रहे दावों को 'फेक नेगेटिव' करार दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि उंगली पर लगाई गई स्याही पोंछने की कोशिश कर मतदाताओं में भ्रम फैलाना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति स्याही पोंछकर दोबारा मतदान के लिए आता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था पहले से की गई है; केवल स्याही पोंछ लेने से दोबारा मतदान संभव नहीं है।

मार्कर के उपयोग पर उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने १९ नवंबर २०११ और २८ नवंबर २०११ को आदेश जारी कर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों में मतदाता की उंगली पर स्याही लगाने के लिए मार्कर पेन के उपयोग की अनुमति दी है। निर्देशों के अनुसार स्याही नाखून और नाखून के ऊपर की त्वचा पर ३–४ बार रगड़कर स्पष्ट रूप से लगाई जाती है, और ये निर्देश मार्कर पेन पर भी अंकित होते हैं। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि स्याही पोंछने जैसे गैरकृत्य न करें।

माजलगांव में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की जमीन हड़पने की कोशिश

आढ़त व्यापारी बालासाहेब जोगड़े समेत चार पर मामला दर्ज, विवादित संपत्ति के दलालों को करारा झटका

माजलगांव (प्रतिनिधि):

माजलगांव के पुराने मंडी क्षेत्र में स्थित करोड़ों रुपये की एक विवादित संपत्ति की अवैध खरीद–फरोख्त कर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में आढ़त व्यापारी बालासाहेब तुकाराम जोगड़े समेत तीन अन्य लोगों के खिलाफ माजलगांव शहर पुलिस थाने में सहायक दुय्यम निबंधक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

देवखेड़ा (माजलगांव) निवासी राजाराम धोंडीराम जोगड़े की पुराने मंडी इलाके में करीब १८०० वर्ग फुट जमीन थी। उनके निधन के बाद वारिस न होने के कारण रिश्तेदारों के स्वामित्व दावे से यह जमीन विवादित हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए बालासाहेब तुकाराम जोगड़े ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर नगर पालिका में अपने नाम की एंट्री करवा ली। रिश्तेदारों की आपत्ति पर मुख्याधिकारी ने सुनवाई कर ८ अगस्त २०२५ को जोगड़े का नाम हटाया था।

इसके बावजूद बालासाहेब जोगड़े ने कथित फर्जी 'ना–हरकत प्रमाणपत्र' के आधार पर १५ सितंबर २०२५ को उक्त जमीन की रजिस्ट्री प्रल्हाद सूर्यकांत होके के नाम कर दी। आरोप है कि इस दौरान पुरानी पीटीआर का उपयोग कर सहायक दुय्यम निबंधक गणेश चौधरी के साथ मिलीभगत से रजिस्ट्री की गई।

इस पूरे मामले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के गोपाल पैंजणे द्वारा शिकायत और आंदोलन की चेतावनी के बाद जांच हुई, जिसमें रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए।

प्रकरण में आरोपी इस प्रकार हैं–

आढ़त व्यापारी बालासाहेब तुकाराम जोगड़े (निवासी: देवखेड़ा) – संपत्ति लिखने वाला

प्रल्हाद सूर्यकांत होके (निवासी: पाटील गली, माजलगांव) – संपत्ति लेने वाला

इमरान मुस्तफा खान (निवासी: गांधनपुरा, माजलगांव) – गवाह

प्रकाश उत्तमराव होके (निवासी: पाटील गली, माजलगांव) इन सभी के खिलाफ सहायक दुय्यम निबंधक की शिकायत पर माजलगांव शहर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से विवादित संपत्तियों की खरीद–फरोख्त करने वाले दलालों में हड़कंप मच गया है।

कोकण प्रीमियर लीग सीज़न १० का भव्य आयोजन, क्रेसेंट दमाम बनी चैंपियन

रिपोर्ट : रियाज़ वलीले (सऊदी अरब)

कोकण प्रीमियर लीग (घझड) सीज़न १० का भव्य फाइनल मुकाबला ९ जनवरी २०२६ को डीसीए ग्राउंड, दमाम–अलखोबर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फाइनल में क्रेसेंट दमाम और अल–फातिह कंज़लोली रियाद आमने–सामने थीं। ६ ओवर के इस मुकाबले को देखने बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे।

टॉस जीतकर क्रेसेंट दमाम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए ६ ओवर में ५९ रन बनाए और अल–फातिह कंज़लोली रियाद को जीत के लिए ६० रनों का लक्ष्य दिया। क्रेसेंट दमाम की ओर से शहबाज़ ने २० रन बनाकर अहम योगदान दिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए अल–फातिह कंज़लोली रियाद की टीम दबाव में आ गई और पूरी टीम ४४ रन पर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से सगीर उल्दे ने १९ रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

इस तरह क्रेसेंट दमाम ने फाइनल जीतकर कोकण प्रीमियर लीग सीज़न १० – २०२६ का खिताब अपने नाम किया। टीम के मेंटर श्री अब्दुल मन्नान फकीह हैं। विजेता टीम को भव्य ट्रॉफी के साथ स्पोर्ट्स शूज़, आयरन बॉक्स और अहमद परफ्यूम्स के गिफ्ट हैम्पर्स (१२ खिलाड़ियों को) प्रदान किए गए।

उपविजेता टीम अल–फातिह कंज़लोली रियाद रही, जिसके मेंटर श्री ज़मीर पालिकर हैं। तीसरा स्थान बॉम्बे बॉयज़ ने हासिल किया, जिन्हें भी ट्रॉफी और अहमद परफ्यूम्स के गिफ्ट हैम्पर्स से सम्मानित किया गया।

व्यक्तिगत पुरस्कार:

सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़: रशीद मुकद्दम (क्रेसेंट दमाम) – पूरे टूर्नामेंट में १११ रन

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़: तौफीक़ ख़िदमतगार (क्रेसेंट दमाम) – कुल ९ विकेट

मैन ऑफ द सीरीज़: रशीद मुकद्दम – १११ रन और ९ विकेट

सभी पुरस्कारों के साथ ट्रॉफियाँ और अहमद परफ्यूम्स के विशेष गिफ्ट हैम्पर्स प्रदान किए गए।

इस आयोजन का लाइव प्रसारण कोकण क्रिक मीडिया के माध्यम से किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। उत्कृष्ट वीडियो कवरेज के लिए कोकण क्रिक मीडिया को विशेष मोमेंटो भेंट किया गया। लाइव प्रसारण को भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, ज़िम्बाब्वे, कुवैत, क़तर, बहरीन, अमेरिका और कनाडा सहित विभिन्न देशों से लगभग ७,००० दर्शकों ने देखा।

टूर्नामेंट के दौरान सभी प्रायोजकों, स्वयंसेवकों और विशिष्ट अतिथियों को स्मृति–चिह्न और गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए। इस वर्ष कोकणी पारंपरिक व्यंजनों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कोकण प्रीमियर लीग सीज़न १० ने एक बार फिर एकता, भाईचारे और खेल भावना की मिसाल पेश की और हर वर्ष की तरह इस बार भी यह आयोजन बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ।

पान १ वरून

विनोद मुळुक उपाध्यक्ष निर्विरोध...

उपाध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से विनोद मुळुक और भाजपा की ओर से गटनेता डॉ. सारिका योगेश क्षीरसागर ने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन नामांकन वापसी के बाद विनोद मुळुक का निर्विरोध चयन सुनिश्चित हो गया।

इसी के साथ आज पाँच स्वीकृत सदस्यों का भी चयन किया गया। अजितदादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से मोईन मास्टर, भीमराव वाघचौरे और दिनेश मुंदडा, भाजपा की ओर से गोविंद शिराले तथा विधायक संदीप क्षीरसागर के गुट की ओर से खान मसूद उमर का निर्विरोध चयन हुआ।

चयन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा और आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई।

माजलगांव नगरपालिका...

चुनाव में चाउस परिवार को उल्लेखनीय सफलता मिली है। पूर्व नगराध्यक्ष सहाल चाउस की बहू शिफा बिलाल चाउस नगराध्यक्ष पद पर आसीन हुई हैं, जबकि सहाल चाउस ने राजनीतिक रणनीति के तहत उपाध्यक्ष पद भी अपने नाम किया है। राज्य में माजलगांव नगर पालिका एकमात्र ऐसी नगर पालिका बनी है, जहां बहू नगराध्यक्ष और ससुर उपाध्यक्ष हैं।

पुराने विवाद में युवक का अपहरण कर...

अमानवीय पिटाई की गई। गंभीर रूप से घायल सिद्धांत को पहले काकू नाना अस्पताल, बीड और बाद में ससून अस्पताल, पुणे में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ जोड़ी गई।

इस प्रकरण में बीड शहर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक १०७/२०२२ के तहत भादंवि की धाराएं ३०७, ३६४, ३४ के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जांच पुलिस उपनिरीक्षक पी. यू. अंधारे ने की। जांच के दौरान गवाहों के बयान, चिकित्सकीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ दोषारोपण पत्र दाखिल किया गया।

मामले की सुनवाई पहले तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. आर. जोगळेकर तथा बाद में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद एल. यावलकर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल १५ गवाहों की गवाही कराई गई। सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा जिला सरकारी वकील एडवोकेट अजय दि. राख की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को भादंवि की धारा ३०२, ३४ के तहत आजीवन कारावास तथा धारा ३६४, ३४ के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील एवं शासकीय अभियोक्ता एडवोकेट अजय दि. राख ने पैरवी की। उन्हें सहायक सरकारी वकील बी. एस. राख, ए. बी. तिडके तथा फरियादी पक्ष की ओर से एडवोकेट एस. एस. सावंत का सहयोग मिला। पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस कर्मचारी सुरेश कदम और एम. वी. नागमवाड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बीड नगर परिषद की पहली...

लिए आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष पद हेतु अजित पवार गुट से विनोद मुळूक और भाजपा से डॉ. सारिकाताई क्षीरसागर ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि विधायक संदीप क्षीरसागर के अजित पवार गुट को समर्थन देने के बाद तय समय से पहले डॉ. क्षीरसागर ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे विनोद मुळूक निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसके बाद स्वीकृत सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी हुई।

डॉ. क्षीरसागर ने कहा कि स्वीकृत सदस्यों के चयन में की गई यह पूरी प्रक्रिया नियमबाह्य और असंवैधानिक है। इस संबंध में वे भाजपा गटनेता के रूप में बीड के जिलाधिकारी तथा राज्य के नगर विकास मंत्री से शिकायत दर्ज कराएंगी।

नवनियुक्त स्वीकृत सदस्य गोविंद शिराळे का सत्कार

गोविंद नवनाथ शिराळे के बीड नगर परिषद के स्वीकृत नगरसेवक चुने जाने पर भाजपा के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर और गटनेता डॉ. सारिकाताई क्षीरसागर ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नवनाथ शिराळे सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बीड के वरिष्ठ पत्रकार रईस...

हॉल, माल टेकड़ी रोड, डेगलूर नाका, नांदेड में एक समारोह में सम्मानपूर्वक प्रदान किया जाएगा.

रईस खान सिकंदर खान ने पूर्व में 'दैनिक औरंगाबाद टाइम्स' (उर्दू), 'दैनिक एहतेमाम' (उर्दू), 'दैनिक इंसाफ–ए–आलम' (हिंदी),दैनिक तामीर (उर्दू) 'दैनिक अलहिलाल' (उर्दू) तथा वर्तमान में वे 'औरंगाबाद सिटीजन्स' (हिंदी) अखबार के जिला प्रतिनिधि, ऑनलाइन मराठी न्यूज वेबसाइट 'महा टाइम्स.इन' और 'बीड इन्साफ' के मुख्य संपादक हैं तथा मराठी पत्रकार संघ के बीड जिला उपाध्यक्ष भी हैं.

पिछले २५ वर्षों में अपनी कलम के जरिए उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और नागरिक मुद्दों पर जनता की बुलंद आवाज बुलंद की. उनके दीर्घकालिक और उल्लेखनीय कार्य की सराहना करते हुए यह राज्यस्तरीय सम्मान घोषित किया गया. इस पुरस्कार से उनका पत्रकारिता सहित विभिन्न स्तरों से स्वागत हो रहा है.

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com